पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-08.03.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री विनोद नारायण झा, स०वि०स० श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०	"दरभंगा जिला के एन०एच० 57 के मुख्य सड़क पर अवस्थित दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय को अपना लगभग 30 एकड़ जमीन है, जिसका खाता सं०-96, 97, खेसरा-192, 172 इत्यादि है । उक्त जमीन को फर्जी व्यक्ति समाहरणालय कर्मी सुरेन्द्र पासवान, इनके भाई जितेन्द्र पासवान, हीरा पासवान, मनोज पासवान वगैरह के साथ स्थानीय पदाधिकारी एवं निबंधन कार्यालय के कर्मी की मिली-भगत से अनधिकृत कब्जा कर फर्जी तरीके से बिक्री की जा रही है । दिनांक-06.10.2012 एवं 26.02.2013 को फर्जी व्यक्ति दीनानाथ पूर्वे, अरूण कुमार आदि द्वारा उक्त जमीन में से लगभग 10 एकड़ जमीन की अवैध बिक्री भू-माफियाओं के माध्यम से कर दी गई है । शेष बचे जमीन का आय भी महाविद्यालय के कोष में जमा नहीं किया जा रहा है । अत: उक्त महाविद्यालय के जमीन की अवैध बिक्री को रद्द कर खरीद-बिक्री पर रोक लगाने एवं मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो से कराकर संलिप्त दोषी व्यक्ति पर शीघ्र कार्रवाई हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	गृह (आरक्षी)/ विज्ञान एवं प्रावैधिकी

1	2	3	4
2.	श्री सुबाष सिंह, स०वि०स० श्री राहुल कुमार, स०वि०स० श्री विनय कुमार सिंह, स०वि०स० श्री राम प्रवेश राय, स०वि०स०	"गोपालगंज जिलान्तर्गत बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा पतराहा ग्राम के निकट गंडक नदी में धारा परिवर्तित कर पाईलट चैनेल निर्माण हेतु मे० धरती ड्रेजिंग एवं कंस्ट्रक्शन कं० को जनवरी, 2011 में कार्य आवंटित किया गया, जिसे 31.05.11 तक पूरा करना था परन्तु कार्य पूरा नहीं किया गया जिसके कारण जुलाई, 2011 में आयी बाढ़ में पतराहा रिंग बांध पर पूर्व का बोल्डर कार्य नष्ट हो गया और बाढ़ के दौरान उसी बांध को बचाने हेतु 4 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराना पड़ा । इस अनियमितता की शिकायत विभाग से की गयी जिसके बाद विभाग द्वारा पायलट चैनेल के निर्माण कार्य की जांच मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से तथा 4 करोड़ रूपये के बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की जांच उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग से कराने का निर्णय लिया गया । उड़नदस्ता द्वारा दिनांक-16.11.12 को स्थलीय जांच की तिथि निर्धारित की गयी थी परन्तु अभीतक न तो पायलट चैनेल की जांच निगरानी विभाग तथा न ही बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की जांच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गयी है । अतएव उपरोक्त जांच कार्यों को पूरा कराकर दोषियों पर कार्रवाई हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	जल संसाधन

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/13- 223 / वि०स०, पटना, दिनांक- 7 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह (आरक्षी) विभाग / विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

07/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/13- 223 / वि०स०, पटना, दिनांक- 7 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

07/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।